

हरियाणा 12वीं स्कॉलरशिप 90 वालों को मलिंगे पैसे, लसिट देखें

वषिय सूची (Table of Contents):

- >> हरियाणा सरकार की नई पहल अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियोजना...
- >> योजना का मुख्य आकर्षण...
- >> 12वीं कक्षा में 90 अंक हासिल करने वाले मेधावियों को मलिंगा लाभ...
- >> पात्रता के मुख्य बिंदु...
- >> शिक्षा नदिशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से माँगी रिपोर्ट...
- >> सत्यापन और रिपोर्टिंग का चरण...
- >> बैंक खातों का सत्यापन और छात्रवृत्ति से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया...
- >> 30 जून तक पूरा करना होगा वेरिफिकेशन का यह काम...
- >> छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए आवश्यक 12 कॉलम की जानकारी...
- >> 12 कॉलम में शामिल मुख्य विवरण ...
- >> शिक्षा के प्रति अनुसूचित वर्ग के वदियार्थियों को जागरूक करने का उद्देश्य...
- >> नष्कर्ष (Conclusion)...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

हरियाणा सरकार की नई पहल: अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए छात्र

हरियाणा में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बेहतरीन पहल की गई है। अनुसूचित वर्ग (Scheduled Caste) के वदियार्थियों के लिए राज्य सरकार ने वन-टाइम स्कॉलरशिप (One Time Scholarship) की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पछिड़े वर्गों के बच्चों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना का मुख्य आकर्षण

- >> अनुसूचित वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए आर्थिक संबल देना।
- >> राज्य भर के सरकारी स्कूलों के मेधावी वदियार्थियों को लाभान्वित करना।
- >> पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करना।

अगर आप भी शिक्षा जगत से जुड़ी ऐसी ही अन्य सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) के बारे में नवीनतम जानकारी (Latest Update) जानना चाहते हैं,

तोसीएम शरी रजिस्ट्र 2026: कक्षा 6 9 का परणाम 30 अप्रैल तक आरगा देखें कैसे डाउनलोड करें तुरंतपर वजिटि कर सकते हैं।

12वीं कक्षा में 90% अंक हासिल करने वाले मेधावियों को मलगा

यह छात्रवृत्तयोजना वशिष रूप से उन वदियार्थियों के लिए है जो हाल ही में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं। जनि छात्रों ने अपनी वार्षिक परीक्षा में 90 परतशित या उससे अधिक अंक प्राप्त करि हैं, वे इस वन-टाइम छात्रवृत्तके लिए पूरी तरह से पात्र माने जाएंगे।

पात्रता के मुख्य बदि

- >> वदियार्थी हरयाणा के सरकारी स्कूल का नयिमति छात्र होना चाहए।
- >> वार्षिक परीक्षा (12वीं) में न्यूनतम 90% या इससे अधिक मार्क्स अनवार्य हैं।
- >> आवेदक छात्र अनुसूचित वर्ग से संबंधित होना चाहए।

शक्तिष नदिशालय ने जलिा शक्तिष अधिकारी कार्यालय से माँगी रपि

इस छात्रवृत्तपरक्रया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए शक्तिष नदिशालय (Directorate of School Education) ने सभी जलियों के जलिा शक्तिष अधिकारी (DEO) कार्यालयों को सख्त नदिदेश जारी कर दए हैं। नदिशालय ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर योग्य छात्र-छात्राओं की वसित सूची और डेटाबेस की मांग की है।

सत्यापन और रपिरटगि का चरण

- >> स्कूल स्तर के मुखया अपने-अपने स्कूलों के मेधावी छात्रों की सूची तैयार करेंगे।
- >> यह डेटा जलिा स्तर पर DEO कार्यालय को भेजा जाएगा।
- >> जलिा कार्यालय सभी जानकारियों को संकलित करके अंतमि रपिरट शक्तिष नदिशालय को सौपेगा।

बैंक खातों का सत्यापन और छात्रवृत्तसे जुड़ी जरूरी परक्रयि

छात्रवृत्तकी राशि सीधे वदियार्थियों के बैंक खातों (Bank Accounts) में भेजी जाएगी, इसलए किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए बैंक ववरण का

सत्यापन बहुत जरूरी है। नदिशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि छात्रों की बैंक पासबुक या बैंक कॉपी की अच्छी तरह से जांच करें और उसे सत्यापित (Verify) करें।

बैंक से जुड़े किसी भी काम या अवकाश की स्थिति की जानकारी के लिए आप बैंक जाने से पहले देख लें लसिट, अगले 10 दिन तक रोज नही खुलेंगे बैंक! लेख को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको असुविधा न हो।

30 जून तक पूरा करना होगा वेरिफिकेशन का यह काम

यह पूरी प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी है। शिक्षा नदिशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों के डेटा का संकलन, बैंक खातों का सत्यापन और नदिशालय को रिपोर्ट भेजने की संपूर्ण प्रक्रिया 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जानी चाहिए ताकि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति (Scholarship Status) मिल सके।

छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए आवश्यक 12 कॉलम की जानकारी

स्कूल के मुखियाओं (School Heads) को एक निर्धारित प्रारूप में छात्रों का पूरा विवरण भेजना होगा। इस सूची में कुल 12 कॉलम बनाए गए हैं, जिनमें सटीक जानकारी भरना आवश्यक है।

12 कॉलम में शामिल मुख्य विवरण:

- >> विद्यार्थी का पूरा नाम और लड़का लड़की होने की जानकारी।
- >> कक्षा, स्कूल का नाम और छात्र का एसआरएन नंबर (SRN Number)।
- >> जिला, राज्य और देश का नाम।
- >> बैंक का नाम, आईएफएससी कोड (IFSC Code) और बैंक खाता संख्या।
- >> विद्यार्थी का आधार नंबर और मोबाइल नंबर।

ध्यान दें कि सूची में आपका आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। आधार से जुड़ी समस्याओं या अपडेट के लिए आप आधार अपडेट के लिए आप 10 साल पुराने दस्तावेज़ अपलोड करना बेकार नहीं! लिक पर क्लिक करके पूरी जानकारी (PDF List) प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षा के प्रति अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को जागरूक करन

हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य इस छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुसूचित वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

जब मेधावी छात्रों को 90% से अधिक अंक लाने पर सम्मानित किया जाएगा, तो इससे अन्य जूनियर छात्र भी प्रेरित होंगे और वे अपनी पढ़ाई अधिक मेहनत और लगन के साथ करेंगे।

नष्कर्ष (Conclusion)

हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित वर्ग के 12वीं के छात्रों के लिए शुरू की गई यह वन-टाइम छात्रवृत्ति योजना एक सराहनीय कदम है। 30 जून तक चलने वाली इस सत्यापन प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक पात्र और मेधावी छात्र तक इस योजना का लाभ पहुंचे। समय पर बैंक खातों के सत्यापन और सही डेटा अपलोड से छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होगा और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक मदद मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा पास करने वाले अनुसूचित वर्ग के वे छात्र पात्र हैं जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

स्कूलों द्वारा छात्रों की जानकारी एकत्र कर बैंक खातों के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जानी है।

स्कूल मुख्याओं को 12 कॉलम के प्रारूप में वदियार्थियों की जानकारी भेजनी होगी, जिसमें नाम, स्कूल का नाम, बैंक खाता, आईएफएससी कोड और आधार नंबर आदि शामिल हैं।

स्कूल स्तर से यह रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय भेजी जाएगी, जिसके बाद इसे अंतिम रूप से शिक्षा नदिशालय को भेजा जाएगा।

नहीं, यह नवीनतम अपडेट के अनुसार सरिफ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित वर्ग के मेधावी वदियार्थियों के लिए है।

सत्यापन के पश्चात छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे वदियार्थी के बैंक खाते (Direct Benefit Transfer) में जमा की जाएगी।

नदिशालय ने डीईओ को आदेश दिए हैं कि वे छात्र की बैंक कॉपी की अच्छी तरह जांच कर सत्यापित करें ताकि भुगतान में कोई रुकावट न आए।

नहीं, यह एक वन-टाइम छात्रवृत्ति (One Time Scholarship) है जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही है।

अनुसूचित वर्ग के वदियार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक और प्रोत्साहित करना तथा उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

आप समय-समय पर शिक्षा व सरकारी योजनाओं के लेटेस्ट अपडेट चेक करने के लिए हमारी वेबसाइट पर वजिटि कर सकते हैं।